

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 134 / 14

संस्थापन दिनांक:-26 / 02 / 14

फायलिंग नं. 233504004162014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. जितेंद्र पिता इंदल अतुलकर, उम्र 30 वर्ष
2. लक्ष्मीबाई पति इंदल अतुलकर, उम्र 78 वर्ष
 दोनों निवासी बंधा रोड भीम नगर बोड़खी
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. आनंद पिता इंदल अतुलकर, उम्र 43 वर्ष
4. ललिताबाई पति आनंद अतुलकर, उम्र 41 वर्ष
 दोनों निवासी वार्ड क्र. 7, गोविंद कॉलोनी आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.01.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498(ए) सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.05.2013 शाम से लगातार आमला जिला बैतूल स्थित अपने मकान में श्रीमती रेखा अतुलकर के साथ कूरता की एवं फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी रेखा अतुलकर का विवाह अभियुक्त जितेंद्र से दिनांक 29.04.2013 को हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। वह अपने ससुराल में कुछ दिन अच्छे से रही। जब वह दोबारा अपने ससुराल पहुंची तो अभियुक्तगण उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और उसे दो बार घर से मारपीट कर भगा दिया और कहा कि तेरे बाप से फोर व्हीलर और एक लाख रुपये लेकर आयेगी तभी घर में आना वरना घर में कदम मत रखता। जब वह अपने मायके आयी तो उसने अपने मायके वालों को उक्त बात बतायी। उसने परामर्श

केंद्र आमला में प्रताड़ित करने संबंधी आवेदन किया था। उसका पति उसे मानसिक रोगी बताकर उसे पागल घोषित करना चाहते थे और उसके ससुराल वालों द्वारा उसके जेवर छीन लिए गये थे। उसके ने उसका मंगल सूत्र भी छीन लिया। उसकी सास द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा जेठ व जेठ व जेठानी फोन पर धमकी देते थे। उसके एवं अभियुक्त के मध्य दिनंक 23.10.2013 को समझौता हुआ लेकिन अभियुक्त उसे लेने नहीं आया। फरियादी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 85/14 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से विवाह पत्रिका एवं दहेज सूची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 498(ए) सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.05.2013 शाम से लगातार आमला जिला बैतूल स्थित अपने मकान में श्रीमती रेखा अतुलकर के साथ कूरता की तथा फरियादी के माता पिता व रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्टेतरित किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 रेखा (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी शादी वर्ष 2013 में अभियुक्त जितेंद्र से रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही उसके आरोपीगण से संबंध अच्छे नहीं थे जिस पर उसने पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा को (प्रदर्श पी-1) का आवेदन दिया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-3 है तथा पुलिस ने उससे शादी

का कार्ड एवं दहेज की सूची जप्त कर (प्रदर्श पी-4) का जप्ती पत्रक बनाया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

7 साक्षी रेखा (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसकी सास लक्ष्मीबाई, जेठ आनंद, जेठानी ललिता एवं उसके पति उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करते थे और फोर व्हीलर एवं एक लाख रुपये की मांग करते थे।

8 इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसका छोटी मोटी बातों पर से विवाद होता था जिसकी उसने शिकायत की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे दहेज के लिए कभी भी प्रताड़ित नहीं किया और एक लाख रुपये की मांग भी नहीं की तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा उससे या उसके माता पिता से दहेज मांगना तथा उसके साथ क्रूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ क्रूरता कारित की हो और फरियादी अथवा उसके माता पिता से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज की मांग की गयी हो। निष्कर्षतः अभियुक्तगण जितेंद्र, लक्ष्मीबाई, आनंद एवं ललिता को धारा 498-ए सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)